न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सोनभद्र

वारण्ट एण्ड सम्मन केसेज संख्या–25 सन् 2024

सर्वेश कुमार **बनाम** शोभनाथ व अन्य

थाना–घोरावल, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रक:–

14.05.2025

पत्रावली तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सर्वेश कुमार पुत्र रामललित निवासी सेमरा, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र की ओर से विपक्षीगण शोभनाथ, मुकेश, चन्दन, बच्चन तथा रोहित के विरूद्ध परिवाद पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि परिवादी गरीब एवं असहाय व्यक्ति है। घटना दिनांक 19.12.2023 की समय करीब दोपहर 02 बजे के लगभग मेरा बच्चा जिसकी उम्र 3 वर्ष थी खेल रहा था तभी रोहित तेज रफ्तार से बाइक लेकर आया और बच्चे को हल्की चोटें लगी। जब रोहित वापस आने लगा तो परिवादी ने कहा कि आप गाड़ी धीरे नहीं चला सकते हैं तो रोहित परिवादी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गालियां देने लगा। परिवादी ने गालियां देने से मना किया तो रोहित, शोभनाथ, मुकेश, चन्दन तथा बच्चन एक राय होकर परिवादी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने लगे तथा परिवादी को लात जूतों से मारने लगे। परिवादी जब 112 नम्बर पर फोन करने लगा तो शोभनाथ ने उसका मोबाइल छीन लिया और कहा कि जहां भी जाना हो जाओ मेरा कहीं कुछ नहीं होगा। परिवादी ने घटना की लिखित सूचना दिनांक 20.12.2023 को थाना इलाका घोरावल में दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब परिवादी ने दिनांक 10.01.2024 को घटना की सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को दिया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर यह परिवाद न्यायालय के समक्ष योजित किया गया।

परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं को धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत एवं धारा–202दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सी0डब्लू0–1 सिकेन्दर एवं सी0डब्लू0–2 जितेन्द्र चौबे को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की प्रति एवं रजिस्ट्री की रसीद एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोरावल को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की प्रति तथा जाति प्रमाण पत्र दाखिल किया है।

परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 में परिवाद पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन किया है तथा परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगणों के द्वारा भी परिवाद पत्र में वर्णित कथनों तथा परिवादी द्वारा धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिये गये बयानों का समर्थन किया गया है।

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2025.05.14 12:36:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथनों एवं धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शपथपूर्वक दिये गये बयानों व समर्थन में परीक्षित साक्षीगण के बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण शोभनाथ, मुकेश, चन्दन, बच्चन तथा रोहित के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–323, 504, 392 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)(r), 3(1)(s) एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। अतः विपक्षीगण उपरोक्त अपराध के विचारण के लिए आहूत किए जाने योग्य हैं।

–:आदेशः–

अभियुक्तगण **शोभनाथ, मुकेश, चन्दन, बच्चन तथा रोहित** को धारा–323, 504, 392 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)(r), 3(1)(s) एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह किये जाने पर तथा **गवाहान सूची दाखिल किए** जाने के उपरान्त अभियुक्तगण को जरिए समन दिनांक 28.06.2025 के लिए तलब किया जाता है।

(आबिद शमीम),
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र

दिनांकः 14.05.2025